

पु.सं. १४५/१७ ५०५७  
 न्यायालय उपखंड अधिकारी  
 पदेन सहायक क्लर्क  
 फरीदा (पीलवाड़ा)

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुकम की तारीख  
 में जारी हुए

~~३०/५/१८ पत्रावली पेश हुई। उपर्युक्त पत्रावली में उपस्थित प्रमाण में अवाक हुई समझा जा रहा है। पत्रावली वास्तु में जवाब देने दिनांक ३०/५/१८ को पेश हो~~

~~रामकुमार शर्मा  
 वंशीराम~~

उपखंड अधिकारी पदेन  
 सहायक क्लर्क करंडा

३०/५/१८  
 समय पर उपस्थित नितोरीन व निगरी  
 में व्यक्त है: अहकाम पर उपस्थित है  
 अतः पत्रावली दिनांक ३०/५/१८ को पेश हो।  
 ३०/५/१८  
 उपखंड अधिकारी, करंडा

30.05.2018

पत्रावली गुनाम राजपुरिया राजस्व लोक  
 अदालत श्री विर में प्रस्तुत हुई। धर्मा  
 उपस्थित आया। धर्मा को धर्मना पत्र पर  
 सुनना गया एवं रेकार्ड का अवलोकन किया  
 गया। मूल राजस्व तद अनुसूचि द्वारा  
 183 के तहत प्रस्तुत हुआ है। जो जेर  
 कारवाही है। धर्मा को सुनने के पश्चात  
 न्यायालय को स्पष्ट अतिमात्र है कि सुविधा  
 से तुलना एवं अपूरणीय सति धर्मा के पत्र  
 में उल्लेख है।  
 अतः धर्मा पत्र धर्मा निरन्तर विपक्षी  
 गण स्वीकार किए जाने का आदेश पदान  
 किया जाता है।

नगरी राम

: आदेश :

धर्मा को धर्मना पत्र स्वीकार किए  
 जाने से मोजा दाविता-सोमाविता

न्यायालय उपखंड अधिकारी  
पवेन सहायक क्लर्क  
करेडा (भीलवाड़)

तारीख न्यायालय (भीलवाड़) अधिकारी ज.क्र. 284/17  
हुकम पवेन सहायक क्लर्क करेडा या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ज.प.ज  
करेडा (भीलवाड़)

पटवार मण्डल रामपुरिया की आराजी  
नं. 706/3 रकबा 2.00 बीघा  
अमि क विरुद्द रेगर्ड की यथा स्थिति  
आर्थ श्वेजान की आजायतकी  
जानी है। इस आजायतकी पक्ष  
आदयकारी होकर मूलवाद के  
निस्तारण होने तक प्रभाव में रहे।  
प्रावली दर्ज रजिस्टर कम की  
जाकर मूलवाद के संलग्न रहे एवं  
जोसल शुमार हो।

निम्न आज दिनांक 30.05.2018  
को अरे इजलास सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पवेन  
सहायक क्लर्क करेडा

*[Faint handwritten notes and bleed-through from the reverse side of the page]*